/

न्यायालय सहायक कलक्टर, दीगोद (कोटा)

उनवान संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
58 / 19	16.07.2019	28.02.2020

पीठासीन अधिकारी – जबर सिंह (R.A.S.)

उनवान

मनीष कुमार आत्मज स्व0 लक्ष्मी चन्द जाति गूजर निवासी कोटडापुरा तहसील दीगोद जिला कोटा
–वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा राज0
–प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88–89 आर0टी0एक्ट

उपस्थित– श्री प्रमोद चौधरी एडवोकेट वादी की ओर से

निर्णय

वादी ने वाद विरूद्ध प्रतिवादी अन्तर्गत धारा 88–89 आरटीएक्ट, इस कथन के साथ पेश किया कि वादी व अन्य सहखातेदारान के खातें व कब्जें काश्त की ग्राम कोटडापुरा तहसील दीगोद जिला कोटा में ख0नं0 118 रकबा 0.11 हे0, ख0नं0 120 रकबा 0.08 हे0, ख0नं0 233 रकबा 0.75 हे0, ख0नं0 281 रकबा 0.41 हे0, ख0नं0 283 रकबा 0.32 हे0, ख0नं0 284 रकबा 0.19 हे0 कुल किता 6 रकबा 1.86 हे0 भूमि स्थित चली आ रही है। उपरोक्त भूमियों के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का बोलता नाम गणेश दर्ज है, जबकि वादी का नाम मनीष कुमार है। उक्त भूमि में वाद का उसके भाई राकेश, बहिन आशाबाई व माता नट्टी बाई के साथ 1/2 हिस्सा दर्ज है। वादी को मनीष कुमार के नाम से पुकारते है, वादी के आधार कार्ड, राशन कार्ड, स्कूल की अंक तालिका आदि दस्तावेजों में वादी का नाम मनीष कुमार अंकित है। ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र में वादी का नाम मनीष कुमार उर्फ गणेश बताया है। किन्तु राजस्व रिकॉर्ड में गणेश दर्ज हो गया है। इस कारण राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम गणेश के स्थान पर मनीष कुमार अंकित किया जाना आवश्यक है। वाद कारण दिनांक 26.06.2019 को उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादी ने उपरोक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम दुरूस्त करनें से इन्कार कर दिया।

वाद पेश कर वादी ने निवेदन किया है कि वादी के पक्ष में प्रतिवादी के खिलाफ निम्न आशय की आज्ञा व डिक्री पारित की जावें कि– ग्राम कोटडापुरा तहसील दीगोद जिला कोटा स्थित ख0नं0 118 रकबा 0.11 हे0, ख0नं0 120 रकबा 0.08 हे0, ख0नं0 233 रकबा 0.75 हे0, ख0नं0 281 रकबा 0.41 हे0, ख0नं0 283 रकबा 0.32 हे0, ख0नं0 284 रकबा 0.19 हे0 कुल किता 6 रकबा 1.86 हे0 भूमि में वादी का नाम गणेश के स्थान पर मनीष कुमार दर्ज किये जानें हेतु व राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती किये जानें की आज्ञा व डिक्री पारित की जावें। प्रतिवादी को आदेशित दिया जावें कि वे उपरोक्त प्रकार से राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट भिजवावें। वाद व्यय व अन्य सहायता हो वह भी वादी को प्रदान की जावें।

दस्तावेजी साक्ष्य में निम्न दस्तावेजात् प्रस्तुत किये–

1. प्रतिलिपि जमाबंदी ग्राम कोटडापुरा सं0 2073–76 खाता नं0 38
2. प्रतिलिपि जमाबंदी ग्राम कोटडापुरा सं0 2073–76 खाता नं0 39

Scanned by CamScanner

3. छायाप्रति अंक तालिका मनीष कुमार पुत्र लक्ष्मीचन्द
4. छायाप्रति आधार कार्ड मनीष कुमार पुत्र लक्ष्मीचन्द
5. छायाप्रति राशन कार्ड
6. तस्दीक प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत लाखसनीजा दिनांक 27.06.2019
7. शपथ पत्र मनीष कुमार आत्मज स्व0 लक्ष्मीचन्द जाति गूजर निवासी कोटडापुरा तहसील दीगोद जिला कोटा

वाद वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी हेतु सम्मन् जारी किये गये। प्रकरण में पटवार मण्डल लाखसनीजा की रिपोर्ट प्रस्तुत हुई, जिसमें वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में गणेश के स्थान पर मनीष किये जानें की अभिशंषा की गई है।

हमनें उभय पक्ष को अपने–अपने साक्ष्य सहादत आदि प्रस्तुत करने के पर्याप्त एवं युक्तियुक्त अवसर दिये तथा बाद साक्ष्य हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्कादि पर विचार किया। बाद बहस पत्रावली का आद्योपान्त गहन मनन अवलोकन किया। विवादित आराजी वाके ग्राम कोटडापुरा तहसील दीगोद जिला कोटा स्थित ख0नं0 118 रकबा 0.11 हे0, ख0नं0 120 रकबा 0.08 हे0, ख0नं0 233 रकबा 0.75 हे0, ख0नं0 281 रकबा 0.41 हे0, ख0नं0 283 रकबा 0.32 हे0, ख0नं0 284 रकबा 0.19 हे0 कुल किता 6 रकबा 1.86 हे0 भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम गणेश पुत्र लक्ष्मीचन्द अंकित है, जबकि वादी की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य में वादी का नाम मनीष कुमार अंकित है तथा ग्राम पंचायत लाखसनीजा द्वारा जारी प्रमाण पत्र में वादी को गणेश व मनीष कुमार दोनों नामों से जाननें का उल्लेख किया है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात्, शपथ पत्र, ग्राम पंचायत लाखसनीजा द्वारा जारी प्रमाण पत्र के अनुसार मनीष कुमार व गणेश दोनों नाम वादी के होना प्रकट होता है। जिससे वादी का नाम विवादित आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्तनीय है।

परिणामतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि विवादित आराजी वाके ग्राम कोटडापुरा तहसील दीगोद जिला कोटा स्थित ख0नं0 118 रकबा 0.11 हे0, ख0नं0 120 रकबा 0.08 हे0, ख0नं0 233 रकबा 0.75 हे0, ख0नं0 281 रकबा 0.41 हे0, ख0नं0 283 रकबा 0.32 हे0, ख0नं0 284 रकबा 0.19 हे0 कुल किता 6 रकबा 1.86 हे0 भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में अंकित नाम गणेश पुत्र लक्ष्मीचन्द के स्थान पर मनीष कुमार उर्फ गणेश पुत्र लक्ष्मीचन्द दर्ज किया जावें, शेष यथावत् रहेगा। तदनुसार डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनॉक 28/02/2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जबर सिंह)
सहायक कलक्टर,
दीगोद

Scanned by CamScanner

अंतिम डिक्री मुकदमा

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर दीगोद जिला कोटा

उनवान

मनीष कुमार आत्मज स्व0 लक्ष्मी चन्द जाति गूजर निवासी कोटडापुरा तहसील दीगोद जिला कोटा

–वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा राज0

–प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88–89 आर0टी0एक्ट

मिसल नम्बर–57 / 19

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू मुझ जबर सिंह आर.ए.एस. बहाजिरी श्री प्रमोद चौधरी एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई रुबरु मिनजानिब मुद्दालयह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि "वाद वादी स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि विवादित आराजी वाके ग्राम कोटडापुरा तहसील दीगोद जिला कोटा स्थित ख0नं0 118 रकबा 0.11 हे0, ख0नं0 120 रकबा 0.08 हे0, ख0नं0 233 रकबा 0.75 हे0, ख0नं0 281 रकबा 0.41 हे0, ख0नं0 283 रकबा 0.32 हे0, ख0नं0 284 रकबा 0.19 हे0 कुल किता 6 रकबा 1.86 हे0 भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में अंकित नाम गणेश पुत्र लक्ष्मीचन्द के स्थान पर मनीष कुमार उर्फ गणेश पुत्र लक्ष्मीचन्द दर्ज किया जावें, शेष यथावत् रहेगा।" तद्नुसार अंतिम डिक्री जारी की जाती है। मेरे दस्तख्त व मोहर अदालत से आज दिनांक २८/02/2020 को जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रुपये	पैसे	मुदालयह	रुपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0	मुत0	0	0
मिलान	0	0	मिलान	0	0

खर्चा उभय पक्ष अपना–अपना वहन करेंगे।

(जबर सिंह)
सहायक कलक्टर,
दीगोद

Scanned by CamScanner